शीर्षक मिहान: विकास की परिकल्पना की आर्थिकी
(परिप्रेक्ष्य : SEZ की आर्थिकी में मिहान की सकारात्मकता का अध्ययन)

प्रस्तावना

उच्च आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति भारतीय योजनाओं का सर्वोच्च उद्देश्य रहा है आर्थिक समृद्धि का निर्धारण दो चरों द्वारा होता है- निवेश आय अनुपात और पूँजी उत्पादन अनुपात(COR)।

आर्थिक समृद्धि को तीव्र करने के लिए जहाँ एक ओर निवेश आय अनुपात में वृद्धि आवश्यक है वही दूसरी ओर ऐसी दशाएँ उत्पन्न करना आवश्यक है, जिससे अंततः पूँजी उत्पादन अनुपात कम हो सके। इन दोनों में से तुलनात्मक रूप से पूँजी उत्पादन अनुपात को कम करना अपेक्षाकृत कठिन तथा दीर्घकालिक मार्ग है।

सरल शब्दों में पूँजी उत्पादन अनुपात का अर्थ एक इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक पूँजी की मात्रा से है। पूँजी उत्पाद अनुपात में होने वाली कमी कुशलता में होने वाली वृद्धि की परिचायक है। अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए COR के स्तर भी अलग-अलग होते है। भारत में विद्युत् गैस व जलापूर्ति का(COR) उच्चतम है जबकि व्यापार का COR न्यूनतम है।

चूँकि विकास के लिए किये जाने वाले नियोजन में एक प्रमुख मुद्दा अतिरिक्त उत्पादन के लिए आवश्यक पूँजी की अतिरिक्त मात्रा से है। अतः पूँजी उत्पादन अनुपात के विभिन्न प्रकारों में से सबसे महत्त्वपूर्ण वह है जो एक अतिरिक्त समय में होने वाले अतिरिक्त निवेश तथा अतिरिक्त उत्पादन के मध्य संबंध को स्पष्ट करता है। जिसे वर्धित पूँजी उत्पादन अनुपात (ICOR) कहा जाता है। ICOR का अर्थ एक दिये हुए वर्ष के लिए किये जाने वाले अतिरिक्त निवेश तथा उसके परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय के मध्य का संबंध है। इसे पूँजी भंडार में होने वाली वृद्धि के GDP में होने वाली वृद्धि से अनुपात के रूप में देखा जाता है।

निवेश आय अनुपात को बढ़ाने, पूँजी उत्पाद अनुपात को कम करने तथा व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में (2000-2001) में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की शुरुआत की गयी। 2000-01 की आयात निर्यात नीति में SEZ को निम्न रूप में परिभाषित किया गया –"विशेष आर्थिक क्षेत्र एक विशिष्ट निर्धारित शुल्क मुफ्त क्षेत्र है तथा जिसे व्यापारिक क्रिया कलापों , शुल्को व प्रशुल्कों के लिए एक विदेशी क्षेत्र के समान माना जाता है . SEZ क्षेत्र में जाने वाली वस्तुओ को निर्यातों के समान माना जाएगा तथा SEZ क्षेत्र से घरेलू शुल्क क्षेत्र में आने वाली वस्तुओं को आयतों के समान माना जाएगा." 2000-01 में सेज़ नीति लायी गयी मई, 2005 में सेज अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया, 22 जनवरी 2007 सेज़ पर रोक लगी एवं पुनः 5 अप्रैल 2007 को मंत्रियो के समूह ने रोक को हटा दिया । अगस्त 2013 में सेज़ संसोधन अधिनियम पारित किया गया । इसी विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत ही नागपुर मिहान को 4 जनवरी 2002 को, महाराष्ट्र सरकार ने मिहान परियोजना को मंजूरी दी और इसके लिए एम.ए.डी.सी. नोडल एजेंसी की स्थापना की। भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के मल्टी मॉडल अंतर्राष्ट्रीय यात्री और कार्गो हब हवाई अड्डे को जनवरी 2008 में मंजूरी दी। इसके अंतर्गत डॉ.

बाबासाहब आंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यात्री एवं कार्गो हब के रूप में विकसित किया जायेगा। यहाँ पर विमानन सेज एवं बहु-उत्पाद आर्थिक क्षेत्र का भी विकास किया जा रहा है। यह भारत का पहला ऐसा बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र होगा जो विमानन सेज से जुड़ा होगा। इस दोनों विशेष आर्थिक क्षेत्र को सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की अतिरिक्त एवं विशेष सुविधा प्राप्त है। जिससे की इन सुविधाओं द्वारा इस क्षेत्र में विदेशी निवेश एवं कंपनियाँ को आकर्षित किया जा सके। विनिर्माण को बढ़ाकर निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सके और नागपुर को कार्गो हब के रूप में विकसित किया जा सके।

साहित्य पुनरावलोकन-

चयनित शोध विषय के संबंध में शोध साहित्य पुनरावलोकन के मुख्य शब्द विशेष आर्थिक क्षेत्र पर केन्द्रित करते हुये google scholar, J-stor, Epw, सर्च साईट का उपयोग किया गया और इससे संबन्धित किताबों का भी अध्ययन किया गया।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाने का उद्देश्य क्या था? देश के बड़े और सफल व्यवसायी भी मानते हैं कि सेज अपने मकसद से भटक गया। राजग सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निर्यातोन्मुखी उत्पादन के उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी।

भारत में किसी भी योजना के पीछे भागने की अंधी दौड़ शुरू हो जाती है। यह हमारे पर्यावरण परिवेश और परिस्थितियों के अनुकूल है अथवा नहीं, इसका चिंतन नहीं किया जाता। आर्थिक महाशक्ति बनने के चक्कर में हमने अपने पहले के अनुभवों को लगभग भुला दिया है। आजादी के बाद निजी कल कारखानों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण की धुन सवार थी और इसका उस वक्त भी जबरदस्त विरोध किया गया था। परिणाम हमारे सामने है। आज सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण की होड़ मची है। लग भी रहा है कि अगर इनको बचाये रखना है तो इन संस्थानों को निजी हाथों में सौंपना पड़ेगा। पूर्व में कई प्रदेश सरकारों ने अपने यहां औद्योगिक संस्थान बनाये और उन्हें कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करायीं, करों में राहत प्रदान की। इनमें से अधिकांश सरकार का करोड़ों रुपया डकारने के बाद बंद पड़े हैं और उद्योगों को आवंटित जमीन भी बंजर पड़ी है। अब पुन: "सेज" के माध्यम से देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने का स्वप्न दिखाया जा रहा है। निवेश के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र आवश्यक हो सकता है, लेकिन इसकी कितनी आवश्यकता है? भारत में इस तरह के क्षेत्र किन-किन प्रदेशों में और कहां-कहां विकसित किए जाएं? इनको विकसित करने में हम अपने मूल उद्देश्यों से भटक तो नहीं रहे हैं, कल को यह भी हमारे लिए सफेद हाथी तो साबित नहीं होंगे? ऐसे अनेक प्रश्नों का जवाब पहले ही खोजा जाना जरूरी है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र के मसले पर दो मंत्रालयों में जंग छिड़ी है। दोनों ने प्रधानमंत्री के समक्ष नैतिक संकट खड़ा कर दिया है। वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम कहते हैं कि सेज के कारण 2009-10 तक केन्द्र सरकार को एक लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा राजस्व की हानि होगी। भारतीय रिजर्व बैंक भी सेज के कारण देश का आर्थिक संतुलन बिगड़ने

की आशंका व्यक्त कर रहा है। साथ ही अनेक लोग सेज को जमीन से जुड़ा महाघोटाला बता रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भी इसकी परोक्ष रूप से लगभग पुष्टि करते हुए बैंकों को निर्देश जारी कर रहा है कि सेज के विकास के लिए दिए गए कर्ज को औद्योगिक विकास के लिए नहीं बल्कि जमीन-जायदाद को दिया गया कर्ज समझें और उसी के हिसाब से ब्याज की दर तय करें। यानी रिजर्व बैंक सेज के विकास को ढांचागत सुविधाओं का विकास नहीं बल्कि जमीन जायदाद का विकास और उससे संबंधित गतिविधि मानता है। सेज की आड़ में, जिसके खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार 113 लाख एकड़ कृषि, गैर-कृषि भूमि अधिग्रहित की जाएगी। डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित किसान आयोग ने भी अपनी पांचवीं रिपोर्ट में कहा है कि कृषि योग्य भूमि को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इसका इस्तेमाल गैर सरकारी उद्देश्यों और सरकारी उद्देश्यों से भी नहीं बदला जाना चाहिए। भारत को छोड़कर पूरी दुनिया में कुल 399 विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यरत हैं, किन्तु अकेले भारत में 400 सेज विकसित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अब तक 200 सेज के निर्माण की अनुमति दी जा चुकी है। चीन में आज भी मात्र 10 सेज कार्यरत हैं, वह भी बन्दरगाह के किनारे या जहां पर व्यापार आसानी से किया जा सके। लेकिन भारत में समुद्री क्षेत्र से सैकड़ों मील दूर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में सैकड़ों सेज खड़े होने को बेताब हैं। इन इलाकों में 80 प्रतिशत गेहूं और 54 प्रतिशत धान की पैदावार होती है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने भी कहा है कि भारत में 10 बड़े "सेज" की ही आवश्यकता है।

सरकार कहती है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों से 50 अरब रुपए का निवेश होगा और 18 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अन्य देशों के उलट औद्योगिक घराने विशेष आर्थिक क्षेत्र की जमीन पर "रीयल एस्टेट" व्यापार भी करना चाहते हैं। यह सौदा फायदे का है, क्योंकि आवासीय परिसर बेचने से होने वाले फायदे को वे लोग उद्योग में लगाएंगे जिससे उन्हें अपने पास से कुछ भी निवेश नहीं करना पड़ेगा। अगर विशेष आर्थिक क्षेत्र असफल भी होता है तो उसकी जमीन का आवासीय व व्यावसायिक परिसर में पूरा उपयोग होगा। विदेशी निवेश और निर्यात कितना होगा, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है किन्तु देश में कार्यरत कारपोरेट जगत सेज में लाइसेंस हथियाने में अवश्य कामयाब हो गये हैं। मंत्रियों के विशेष समूह द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों की सीमा न बांधने और उन्मुक्त क्षेत्र स्थापित करने के खुले विचारों से लगता है पूरा देश ही विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदल जायेगा।

विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयां चूंकि सभी करों से मुक्त होंगी, इस कारण देश के बाकी हिस्सों में कार्यरत कारखानों की हालत पतली हो जाएगी, उनके उत्पाद महंगे होंगे। इससे अप्रत्यक्ष तस्करी को भी बढ़ावा मिलेगा। घाटे में जाती इकाइयां भी विशेष आर्थिक क्षेत्र में पलायित होंगी, जिससे अन्य जगहों पर रोजगार के

अकेले हरियाणा में जितनी भूमि में "सेज" विकसित किया जाएगा उससे 10 लाख लोगों के लिए अन्न पैदा होता है। कृषि भूमि वैसे ही कम हो रही है। हरियाली क्षेत्र 15 फीसदी से घटकर साढ़े छह फीसदी रह गयी है। कृषि विकास दर .07 तक पहुंच गयी है तथा उत्पादकता 1 से 1.5 प्रतिशत तक ठहर गयी है। इस कारण देश को आज अनाज मुहैया कराने के लिए सरकार को गेहूं का आयात करना पड़ा। सरकार "सेज" को विकसित करने के लिए पूरा सहयोग करे, किन्तु यह सुनिश्चित करे कि देश के लिए वास्तव में कितने सेज की आवश्यकता है। इसके

विपरीत सरकार किसानों को हलाल कर रही है। इनकी जमीन जबरदस्ती लेने के बजाय उसकी जमीन के लिए व्यावसायिक मूल्य चुकाये, उसकी विकसित जमीन में कुछ हिस्सेदारी तय करे, उसको रोजगार सुनिश्चित करे अथवा बेसहारा बेघर किसान आत्महत्या करने को विवश होगा और "सेज" भारत में विकास नहीं खेती और किसानों के विनाश का कारण बनेंगे।

क्या हो रहा है 'स्पेशल इकोनॉमिक जोन' की जमीनों का?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एसईजेड यानी 'स्पेशल इकोनॉमिक जोन' के अंतर्गत ली गई जमीनों के बारे में देश के सात राज्यों से सवाल किया है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि उद्योग बसाने के लिए खरीदी गई जमीन बेकार क्यों पड़ी है|

सुप्रीम कोर्ट ने 'स्पेशल इकोनॉमिक जोन' के फायदे पर उठते सवालों और लोगों की जमीन हड़पे जाने के विवादों के बीच भारत के सात राज्यों से पूछा है कि उन्होंने एसईजेड वाली जमीनें खाली क्यों छोड़ी हुई हैं. सेज का प्रोजेक्ट भारत में शुरू से ही विवादों में घिरा रहा है| चीन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की सफलता को देख, उसी की तर्ज पर भारत में भी साल 2005 में एसईजेड कानून बनाया गया. निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अलावा ऐसे स्पेशल जोन स्थापित करने का दूसरा प्रमुख मकसद देश की तेजी से बढ़ती आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना था| एसईजेड एक्ट 2005 के तहत ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली| लेकिन एक दशक से भी अधिक समय बीत जाने के बाद आज उनके नतीजों पर उंगलियां उठ रही हैं|

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सात राज्यों को नोटिस भेजा है और उन्हें जवाब देने के लिए एक महीने का समय दिया है| कोर्ट ने यह कदम एक एडवोकेसी ग्रुप की याचिका पर कार्रवाई करते हुए उठाया| याचिकाकर्ता समूह ने लिखा है कि पिछले पांच सालों के दौरान एसईजेड के नाम पर खरीदी गई 80 फीसदी जमीन खाली पड़ी है| उन्होंने इनमें से अधिकतर को खेती योग्य भूमि बताया है. भारत के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अगुआई वाली बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "हमने याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर सात राज्यों को नोटिस भेजा है|"

हाल के सालों में टैक्स रियायतें देकर कंपनियों को 'स्पेशल इकोनॉमिक जोन' में लाए जाने का चलन दुनिया भर में चला है| लेकिन वर्ल्ड बैंक का कहना है कि ऐसे क्षेत्रों की स्थापना के कारण निर्यात से आय बढ़ाने या आर्थिक विकास को और आगे ले जाने के मामले में मिली जुली सफलता ही मिली है|

सिंगूर विवाद (नैनो का ऐलान)

2008 में भारत की कार निर्माता कंपनी टाटा ने लखटकिया कार नैनो बाजार में उतारने का ऐलान किया| ये खबर दुनिया भर में सुर्खी बनी| नैनो को बनाने के लिए कंपनी ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में फैक्ट्री लगाने की योजना बनाई| भारत में पिछले पांच सालों में ही करीब पांच हजार हेक्टेयर (12,355 एकड़) भूमि को एसईजेड के लिए अभिगृहीत किया गया है| इसमें से केवल 362 हेक्टेयर का ही उसके तय प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया गया| ये

आंकड़े एसईजेड फार्मर्स प्रोटेक्शन वेलफेयर एसोसिएशन ने कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में दिए हैं| इस समूह को अदालत में पेश कर रहे उनके वकील कॉलिन गोन्साल्वेस कहते हैं, "कई किसान अपनी जमीन के छिन जाने के कारण बेहाल हो गए|" वे आगे बताते हैं कि ना केवल उन्होंने अपनी जमीन खोयी, बल्कि उसके बदले में उन्हें कोई दूसरा काम भी नहीं मिला| कारण ये रहा कि जिस इंडस्ट्री के वहां लगाए जाने की योजना थी वो तो लगी ही नहीं|

गोन्साल्वेस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उद्योग मंत्रालय को भी इस बाबत नोटिस भेजा है| इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्योग मंत्रालय के एक निदेशक टीवी रवि ने कहा, "जब हमें नोटिस मिलेगा, तब हम उसका जवाब दे देंगे|" रवि ने बताया, "मंत्रालय अभी नीतियों में बदलाव करने पर कोई विचार नहीं कर रहा है| अगर निवेशक नहीं आते हैं, तो शायद हम इस पर पुनर्विचार करें|" भूमि अधिकार कार्यकर्ताओं की मांग है कि अगर 'स्पेशल इकोनॉमिक जोन' में उद्योग धंधे ना चलें और विस्थापित लोगों को नौकरियां ना मिलें, तो फिर उनकी जमीनें वापस कर दी जानी चाहिए|

भारत सरकार के ऑडिटर्स की 2013 की एक रिपोर्ट दिखाती है कि एसईजेड वाली केवल 62 फीसदी जमीन ही उसके तय प्रयोजन के लिए इस्तेमाल हो रही है| और उनसे भी जितनी नौकरियां पैदा होने की उम्मीद थी, उसका केवल आठ फीसदी ही पैदा हुई हैं| रिपोर्ट में बताया गया कि कई एसईजेड की जमीनों को 'डिनोटिफाई' कराके ऊंची कीमतों पर प्राइवेट डिवेलपर्स को बेच दिया गया है|

शोध की प्रासंगिकता

2008 की वैश्विक गिरावट के बाद एक ऐसी नयी रणनीति आवश्यक थी जो न केवल आर्थिक समृद्धि को पुनः तीव्र करें बल्कि उससे संबद्ध अन्य आर्थिक प्राथमिकताओं को प्राप्त करने में सहायक हो। इसकी कुंजी निवेश को तीव्र करने में निहित है , इशी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सेज नीति के अंतर्गत नागपुर में मिहान प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुये देश के विकास की साथ साथ नागपुर के आस पास के क्षेत्रो में रोजगार उपलब्ध कराने में कितना सफल रहा इसी को ज्ञात करना शोध की प्रासंगिकता है।

शोध -प्रश्न

1-मिहान स्थापित होने से इसके आस पास के क्षेत्रो पर पड़ने वाले आर्थिकी पर क्या प्रभाव पड़ा ?
2-इसकी स्थापना से क्षेत्र के लोगो में रोजगार उपलब्धता के अवसर में कितनी वृद्धि हुयी ?
3- मिहान अपने उद्देश्य में कितना सफल रहा ?

शोध के उद्देश्य

1-मिहान स्थापित होने से इसके आस पास क्षेत्रो पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव का अध्ययन करना।
2-इसकी स्थापना से क्षेत्र के लोगो में रोजगार उपलब्धता के अवसर का अध्ययन करना।
3-मिहान अपने उद्देश्य में कितना सफल रहा इसका अध्ययन करना।

शोध की अभिकल्पना

प्रस्तावित शोध में आकड़ों एवं सूचनाओ को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक एव द्वितीयक दोनों श्रोतों का प्रयोग किया जाएगा। यह शोध मुख्यतः वर्णनात्मक प्रकार का होगा जिसमें द्वितीय श्रोतों के अंतर्गत सरकार एव संगठन द्वारा अपने विभिन्न कार्यक्रम एवं उनकी प्रगति पर प्रस्तुत की जाने वाली सूचना एव रिपोर्ट प्रमुखता से शामिल होगी। शोध उपकरण के रूप में अवलोकन का प्रयोग किया गया।